

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में प्रदत्त सुविधायें

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	कार्यक्रमवार देय अनुदान
1	रोपण सामग्री उत्पादन के लिये ढांचागत सुविधाओं का विकास		
(क)	सार्वजनिक क्षेत्र		
i	छोटी पौधशाला की स्थापना (1 हे०)	रु० 6.25 लाख प्रति हे०	लागत का 100 प्रतिशत, अधिकतम रु० 6.25 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित कार्यक्रम) प्रत्येक इकाई पर प्रति हे० 50,000 कलमी पौधों का प्रति वर्ष उत्पादन करने की अनिवार्यता।
ii	नयी टिशू कल्चर इकाई की स्थापना	रु० 100.00 लाख प्रति इकाई	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु० 100.00 लाख प्रति इकाई। प्रत्येक टिशू कल्चर यूनिट पर 15 लाख पौधों का प्रति वर्ष उत्पादन की अनिवार्यता।
iii	शाकभाजी बीज उत्पादन	रु० 50,000/- प्रति हे०	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु० 50,000/- प्रति हे०
iv	आलू बीज उत्पादन	रु० 50,000/- प्रति हे०	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु० 50,000/- प्रति हे०
v	सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर (बागवानी फसलों के बीजों के हैण्डलिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, आदि हेतु)	रु० 200.00 लाख प्रति इकाई	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 100 प्रतिशत अधिकतम रु० 200.00 लाख प्रति इकाई।
(ब)	निजी क्षेत्र (क्रेडिट लिंकड बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में)		
i	आदर्श पौधशाला की स्थापना (2 से 4 हेक्टेयर तक)	रु. 25.00 लाख प्रति इकाई (4 हे. हेतु) रु.6.25 लाख प्रति हे०	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु० 12.50 लाख प्रति इकाई 4 हे० के लिये, (परियोजना आधारित कार्यक्रम) प्रत्येक इकाई पर प्रति हे० 50,000 कलमी पौधों का प्रति वर्ष उत्पादन करने की अनिवार्यता। (क्रेडिट लिंकड बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में)
ii	छोटी पौधशाला की स्थापना (1 हे०)	रु० 6.25 लाख प्रति हे०	लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु० 3.125 लाख प्रति इकाई (परियोजना आधारित कार्यक्रम) प्रत्येक इकाई पर प्रति हे० 50,000 कलमी पौधों का प्रति वर्ष उत्पादन करने की अनिवार्यता। (क्रेडिट लिंकड बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में)
iii	शाकभाजी बीज उत्पादन	रु० 50,000/- प्रति हे०	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 25,000/- प्रति हे०, प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हे० की अनुमन्यता।
iv	आलू बीज उत्पादन	रु० 50,000/- प्रति हे०	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 25,000/- प्रति हे०, प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 हे० की अनुमन्यता।
v	सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर (बागवानी फसलों के बीजों के हैण्डलिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, आदि हेतु)	रु० 200.00 लाख प्रति इकाई	परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 100.00 लाख प्रति इकाई। (क्रेडिट लिंकड बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में)
2	नवीन उद्यानों की स्थापना (क्षेत्र-विस्तार)		
(अ)	फल (अधिकतम 4 हे० प्रति लाभार्थी) -बहुवर्षीय फल		
i	हाई डेन्सिटी उद्यान रोपण - आम (5x5)	रु० 80,000/- प्रति हे०	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 40,000 प्रति हे० जो 4 हे० तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति० जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।
ii	हाई डेन्सिटी उद्यान रोपण -अमरूद (3x3)	रु० 62,775/- प्रति हे०	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 31,388 प्रति हे० जो 4 हे० तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति० जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	कार्यक्रमवार देय अनुदान
iii	आम (10x10)	रु0 22,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 16,500 प्रति हे0 जो 4 हे0 तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति0 जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।
iv	लीची (10x10)	रु0 23,500/- प्रति हे0	कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 17,625 प्रति हे0 जो 4 हे0 तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति0 जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।
v	आंवला (6x6)	रु0 23,340/- प्रति हे0	कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 17,505 प्रति हे0 जो 4 हे0 तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति0 जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।
vi	अमरूद (6x6)	रु0 21,950/- प्रति हे0	कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 16,463 प्रति हे0 जो 4 हे0 तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति0 जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।
vii	बेल/सिट्रस/बेर (6x6)	रु0 18,950/- प्रति हे0	कुल लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 14,213 प्रति हे0 जो 4 हे0 तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 3 किस्तों में (60:20:20) द्वितीय वर्ष में 75 प्रतिशत जीवितता एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रति0 जीवितता सुनिश्चित होने के उपरान्त देय है।
	एकवर्षीय फल		
viii	केला (टिशू कल्चर)	रु0 83,204/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 41,602 जो 4 हे0 तक प्रति लाभार्थी सीमित है तथा 2 किस्तों में (75:25) द्वितीय वर्ष में 90 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित होने पर देय।
(ब)	मशरूम		
i	स्पान एवं कम्पोस्ट उत्पादन तथा प्रशिक्षण हेतु समेकित मशरूम ईकाई की स्थापना	रु0 50 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र) अधिकतम रु0 50 लाख प्रति ईकाई एवं निजी क्षेत्र में कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 25 लाख प्रति ईकाई (इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु) क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
ii	स्पान उत्पादन ईकाई की स्थापना	रु0 15 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र) अधिकतम रु0 15 लाख प्रति ईकाई एवं निजी क्षेत्र में कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 7.50 लाख प्रति ईकाई क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में
iii	कम्पोस्ट उत्पादन ईकाई की स्थापना	रु0 20 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र) अधिकतम रु0 20 लाख प्रति ईकाई एवं निजी क्षेत्र में कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10 लाख प्रति ईकाई क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
(स)	पुष्प (अधिकतम 2 हे0 प्रति लाभार्थी)		
	लघु एवं सीमांत कोटि के औषकों के लिए		
i	कट फ्लावर्स	रु0 70,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 35,000/- प्रति हे0
ii	बल्बस फ्लावर्स	रु0 90,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 45,000/- प्रति हे0
iii	लूज फ्लावर्स	रु0 24,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 12,000/- प्रति हे0
	अन्य कोटि के कृषकों के लिए		
i	कट फ्लावर्स	रु0 70,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम रु0 23,100/- प्रति हे0

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	कार्यक्रमवार देय अनुदान
ii	बल्ब फ्लावरर्स	रु0 90,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम रु0 29,700/- प्रति हे0
iii	लूज फ्लावरर्स	रु0 24,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम रु0 7,920/- प्रति हे0
(द)	मसाला फसलों की खेती (अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभार्थी)		
	बीज मसाले (मिर्च) एवं कन्द्रीय मसाले (अदरक, हल्दी एवं लहसुन)	रु0 25,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 12,500/- प्रति हे0 (रोपण सामग्री और आई0एन0एम0/आई0पी0एम0 के निवेशों हेतु)
(य)	सगंध पौधों की खेती (अधिकतम 4 हे0 प्रति लाभार्थी)		
i	पचौली, जिरेनियम अथवा रोजमैरी सगंध पौधों की खेती हेतु	रु0 75,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 37,500/- प्रति हे0 (रोपण सामग्री और आई0एन0एम0/आई0पी0एम0 के निवेशों हेतु)
ii	अन्य सगंध पौधे (दमिश्क गुलाब)	रु0 25,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 12,500/- प्रति हे0 (रोपण सामग्री और आई0एन0एम0/आई0पी0एम0 के निवेशों हेतु)
3	अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेन्ट (छत्र प्रबन्धन) प्रति लाभार्थी 2 हे0 तक सीमित		
i	(आम, अमरूद, आवंला)	रु0 30,000/- प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 15000/- प्रति हे0 किन्तु वास्तविक लागत फसल की प्रकृति एवं आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित होगी।
4	जल संसाधन स्रोतों का सृजन (यह कार्यक्रम नरेगा के साथ संयोजित कर कार्यान्वित किया जायेगा)		
	सामुदायिक तालाब/फार्म पॉण्डस/फार्म वाटर रिजर्ववायर प्लास्टिक/आर0सी0सी0 लाइनिंग सहित		
i	सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का सृजन	रु0 15 लाख प्रति इकाई	लागत का 100 प्रतिशत 10 हे0 कमान्ड एरिया क्षेत्र के लिए जिसमें तालाब का आकार 100X100X3 मीटर का होगा अथवा तालाब के आकार के अनुसार अनुदान की राशि निर्धारित होगी। तालाब का स्वामित्व तथा प्रबन्धन व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक अथवा कृषक समूह का होगा। नरेगा के साथ जोड़कर कार्यान्वित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत देय सहायता केवल प्लास्टिक/आर0सी0सी0 लाइनिंग की लागत की सीमा तक ही अनुमन्य होगी। नरेगा से न जुड़े हुए निर्माणाधीन तालाबों पर पूरी लागत जिसमें तालाब का निर्माण एवं लाइनिंग का व्यय सम्मिलित है, एन.एच.एम. से उक्त सीमा तक अनुदान की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
ii	वर्षा जल संरक्षण पद्धति (व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए)	रु0 1.20 लाख प्रति इकाई	व्यक्तिगत लाभार्थियों के खेत पर 20X20X3 मीटर आकार के तालाब के निर्माण पर रु0 100 प्रति घन मी0 की दर से कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 0.60 लाख।
5	संरक्षित खेती		
	ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर - नैचुरली वेन्टिलेटेड सिस्टम		
i	ट्यूब्लर स्ट्रक्चर	रु0 935 प्रति वर्ग मी0	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 467.50 प्रति वर्ग मी0) प्रति लाभार्थी 1,000 वर्ग मी0 की सीमा तक सीमित
ii	प्लास्टिक मल्लिंग	रु0 20000 प्रति हे0	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000 प्रति हे0, प्रति लाभार्थी 2 हे0 की सीमा तक सीमित
iii	शेड नेट हाउस ट्यूब्लर स्ट्रक्चर	रु0 600 प्रति वर्ग मी0	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 300 प्रति वर्ग मी0) प्रति लाभार्थी 1,000 वर्ग मी0 की सीमा तक सीमित
iv	प्लास्टिक टनल	रु0 30 प्रति वर्ग मी0	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 15 प्रति वर्ग मी0) प्रति लाभार्थी 1,000 वर्ग मी0 की सीमा तक सीमित
v	उच्च मूल्य की शाकभाजियों के रोपण सामग्री की पॉलीहाउस में उत्पादन हेतु व्यवस्था	रु0 105 प्रति वर्ग मी0	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 52.5 प्रति वर्ग मी0) प्रति लाभार्थी 500 वर्ग मी0 की सीमा तक

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	कार्यक्रमवार देय अनुदान
vi	पॉलीहाउस में उच्च मूल्य के पुष्पों के रोपण सामग्री की उत्पादन हेतु व्यवस्था	रु0 500 प्रति वर्ग मी0	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 250 प्रति वर्ग मी0) प्रति लाभार्थी 500 वर्ग मी0 की सीमा तक
6	एकीकृत पोषण प्रबंधन (आई0एन0एम0)/एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन (आई0पी0एम0) को प्रोत्साहन		
i	सैनेट्री एण्ड फाइटो सैनेट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर (सार्वजनिक क्षेत्र)	रु0 100 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत
ii	आई0पी0एम0/आई0एन0एम0 का प्रोत्साहन	रु0 2000 प्रति है0	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 1,000/- प्रति है0। प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 है0 तक सीमित।
iii	डिजीज फोरकास्टिंग यूनिट (सार्वजनिक क्षेत्र)	रु0 4 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत
iv	प्लांट हेल्थ क्लीनिक (सार्वजनिक क्षेत्र में)	रु0 20 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 100 प्रतिशत
	प्लांट हेल्थ क्लीनिक (निजी क्षेत्र में)	रु0 20 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10.00 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में
7	जैविक खेती प्रति लाभार्थी 4 है0 तक सीमित		
i	जैविक खेती का अंगीकरण	रु0 20000 प्रति है0	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000 प्रति है0, रु0 4,000 प्रथम वर्ष में, रु0 3000 द्वितीय वर्ष में एवं रु0 3000 तृतीय वर्ष में।
ii	जैविक प्रमाणीकरण (परियोजना आधारित)	रु0 5 लाख 50 है0 के क्लस्टर हेतु	रु0 1.50 लाख प्रथम वर्ष, रु0 1.50 द्वितीय वर्ष एवं रु0 2.00 तृतीय वर्ष में।
iii	वर्मी कम्पोस्ट/जैविक निवेश उत्पादन ईकाई की स्थापना	रु0 60 हजार प्रति ईकाई (स्थाई ढांचे हेतु) एवं रु0 10000 प्रति ईकाई एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड हेतु	30' x ' x 2-5' परिमाण 600 क्यूबिक फीट के स्थाई स्ट्रक्चर पर 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 30000/-साइज (30'x8'x2-5') तथा एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड साइज (साइज 12'x4'x2') कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु0 5000/- प्रति ईकाई
8	मौन पालन प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 कालोनी तक सीमित		
i	मौनवंश	रु. 1400 (4 फ्रेम की प्रति कालोनी हेतु)	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 700), प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 कालोनी तक सीमित।
ii	मौनगृह	रु0 1600 प्रति मौनगृह	कुल लागत का 50 प्रतिशत (रु0 800), प्रति लाभार्थी अधिकतम 50 कालोनी तक सीमित।
iii	मौन पालन उपकरण-मधु निष्कासन यंत्र (4 फ्रेम) एवं कन्टेनर 30 किग्रा0	रु0 14000 प्रति सेट	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 7000 प्रति लाभार्थी एक सेट तक सीमित।
9	औद्योगिक मैकनाइजेशन		
i	पॉवर आपरेटेड मशीन/ टूल्स (पॉवर सा एवं पौध रक्षा उपकरण सहित)	रु0 35000/- प्रति सेट	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 17,500/- प्रति लाभार्थी एक सेट तक सीमित।
ii	पॉवर मशीन (20 बीएचपी तक) रोटोवेटर/उपकरण	रु0 1.20 लाख प्रति सेट	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 60,000/- प्रति लाभार्थी एक सेट तक सीमित।
iii	पॉवर मशीन (20 एचपी एवं अधिक) एसेसेरीज एवं उपकरण सहित	रु0 3.00 लाख प्रति सेट	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 1.50 लाख प्रति लाभार्थी एक सेट तक सीमित।
10	तकनीकी हस्तांतरण		
	प्रदर्शन/फ्रन्ट लाइन प्रदर्शन (सार्वजनिक क्षेत्र)	रु0 25.00 लाख	कुल लागत का 100 प्रतिशत
11	मानव संसाधन विकास		
a	सुपरवाइजर एवं उद्यमियों का प्रशिक्षण	रु0 20.00 लाख प्रति प्रशिक्षण	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	कार्यक्रमवार देय अनुदान
b	माली प्रशिक्षण	रु0 15.00 लाख प्रति प्रशिक्षण	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
c	कृषकों का प्रशिक्षण		
i)	जिला स्तरीय कृषक- प्रशिक्षण (दो दिवसीय)	रु0 400/- प्रतिदिन प्रति औषक की दर से	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
ii)	राज्य स्तरीय कृषक- प्रशिक्षण (छः दिवसीय)	रु0 750/- प्रतिदिन प्रति औषक की दर से	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
iii)	अन्तर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण (सात दिवसीय)	रु0 1000/- प्रतिदिन प्रति औषक की दर से	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
d	कृषक का एक्सपोजर विजिट		
i)	जिला स्तरीय कृषक- प्रशिक्षण (एक दिवसीय)	रु0 250/- प्रतिदिन प्रति औषक की दर से	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
ii)	राज्य स्तरीय कृषक- प्रशिक्षण (तीन दिवसीय)	रु0 300/- प्रतिदिन प्रति औषक की दर से	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
iii)	अन्तर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण (सात दिवसीय)	रु0 600/- प्रतिदिन प्रति औषक की दर से	कुल लागत का 100 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिये।
iv)	अन्तर्राष्ट्रीय कृषक प्रशिक्षण	रु0 3.00 लाख प्रति लाभार्थी	परियोजना आधारित।
e	तकनीकी स्टाफ/क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण		
i)	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (सात दिवसीय)	रु0 200/- प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी तथा अनुमन्य यात्रा एवं दैनिक भत्ता।	कुल लागत का 100 प्रतिशत तथा अनुमन्य यात्रा एवं दैनिक भत्ता।
ii)	विकासशील राज्यों में अध्ययन भ्रमण (न्यूनतम 5 प्रतिभागी)	रु0 650/- प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी तथा अनुमन्य यात्रा एवं दैनिक भत्ता।	कुल लागत का 100 प्रतिशत
iii)	अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन भ्रमण	रु0 5 लाख प्रति प्रतिभागी	वास्तविक लागत का 100 प्रतिशत परियोजना आधारित।
12	तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन		
i)	पैक हाउस/आन फार्म कलेक्शन एण्ड स्टोरेज यूनिट का निर्माण	(9x6 मी0 आकार के लिए) रु0 3 लाख प्रति ईकाई	कुल पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.50 लाख बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
ii)	प्री कूलिंग यूनिट	6 मै0टन क्षमता के लिए रु0 15 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
iii)	मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट	5 मै0टन क्षमता के लिए रु0 24 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 9.60 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
iv)	कोल्ड स्टोरेज यूनिट	रु0 6 हजार प्रति मै0टन 5 हजार मै0टन क्षमता के लिए	कुल पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु 120.00 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
v)	रीफर वैन/कन्टेनर	6 मै0टन क्षमता के लिए रु0 24 लाख प्रति ईकाई	कुल पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 9.60 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
vi)	प्राइमरी /मोबाइल/ मिनीमल प्रोसेसिंग यूनिट	रु0 24 लाख प्रति ईकाई	कुल पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 9.60 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।

क्र.सं.	कार्यक्रम	अनुमानित लागत	कार्यक्रमवार देय अनुदान
vii)	राइपनिंग चैम्बर	रु0 6 हजार प्रति मै0टन 5000 मै0टन क्षमता के लिए	कुल पूंजीगत लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 120.00 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
viii)	इवैपोरेटिव / लो एनर्जी कूल चैम्बर	रु0 4 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 2.00 लाख, बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
ix)	लो कास्ट प्रिजरवेशन यूनिट		
(a)	नई इकाई की स्थापना	रु0 2 लाख प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1.00 लाख, बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
(b)	पुरानी इकाई का उच्चीकरण	रु0 1 लाख प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.50 लाख, बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
x)	लो कास्ट प्याज भण्डारगृह की स्थापना (25 मी0टन)	रु0 1 लाख प्रति इकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.50 लाख, बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
13	औद्योगिक उत्पादों के विपणन हेतु ढांचागत सुविधाओं का विकास		
i)	स्टैटिक/मोबाइल वैडिंग कार्ट/प्लेटफार्म विद कूल चैम्बर	रु0 30 हजार प्रति ईकाई	कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.15 लाख प्रति इकाई
ii)	फन्क्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन, सार्टिंग, ग्रेडिंग पैकिंग आदि	रु0 15 लाख प्रति ईकाई	कुल लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख क्रेडिट लिंक बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में।
iii)	क्वालिटी कन्ट्रोल/ एनालिसेस लैब	रु0 200 लाख प्रति ईकाई	लागत का 100 प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र)
iv)	ताजे एवं प्रसंस्कृत पदार्थों के लिए गुणवत्ता जागरूकता सम्बन्धी प्रसार कार्य	रु0 3 लाख प्रति कार्यक्रम	कुल लागत का 100 प्रतिशत राज्य सरकार/एस0एच0एम0/पब्लिक सेक्टर एजेन्सी के द्वारा
14	स्पेशल इन्टरवेंशन		
	टैकलिंग ऑफ़ इमरजेंट/ अनफोरसीन रिक्वायरमेंट ऑफ़ एस0एच0एम0	रु0 10 लाख प्रति प्रोजेक्ट	परियोजना आधारित, लागत का 50 प्रतिशत
15	मिशन प्रबन्धन		